

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प .....खोहरी

606  
25/6/18

क्र. सं. 66/18  
25/6/18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .....खोहरी..... व भू-अभिलेख निरीक्षक डेलडेवी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली / नायब तहसीलदार X की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोहरी तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 48 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	खोहरी	48	चन्दन पुत्र रामफूल सन्तरा लोटन्ती (वालि) सेंत्रीठा (नावा) पुत्रीया रामफूल गुलवाई देवा रामफूल नावा की संरक्षक माता गुलवाई जाति चमार हि. व. 1/4 राधेश्याम पुत्र श्याम लाल हि. 1/2 जाति धोवी सा. देह किरानपुत्र लाल चन्द जाति कोली हि. 1/4 ना. नं. 1014	चन्दन पुत्र रामफूल सन्तरा लोटन्ती (वालि) सेंत्रीठा (नावा) पुत्रीया रामफूल गुलवाई देवा रामफूल नावा की संरक्षक माता गुलवाई जाति चमार हि. व. 1/4 राधेश्याम पुत्र श्याम लाल हि. 1/2 जाति धोवी सा. देह किरानपुत्र लाल चन्द जाति कोली हि. 1/4 ना. नं. 1014

लोक अदालत  
खोहरी  
25/6/18

खण्ड अधिकारी  
(पीठासीन अधिकारी)  
लोक अदालत, कैम्प खोहरी  
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक :-  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री खोहरी को सूचनार्थ।